

प्रौद्योगिकी

संख्या : ३८१९
1-10-2010-14(63) / 2010

८०-
८१५
मिशन
मानविकी

प्रेषक,

क०क० सिन्हा,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में

जिलाधिकारी, बहराईच/ काशीगढ़ नगर/ उन्नाव/ लखीमपुर खारी/ २६/१०/१०
हरदाइ/ फर्रुखाबाद/ बिजनौर/ रामपुर।

राजस्व विभाग

लखनऊ : दिनांक : २६ नवम्बर २०१०

विषय : वित्तीय वर्ष २०१०-११ में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत निधि से
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१०-११ में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रुप ४२८६.१०/- (रुपय ब्यालिस करण नवासी लाख दस हजार मात्र) सलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखन की श्री राज्यपाल महोदय सहष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. उक्त धनराशि का प्रयोग व्यक्तियों एवं कृषकों को भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित मानकों के अनुसार देय धनराशि के वितरण हेतु किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय नियमों के अधीन ही किया जायेगा। अग्रतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूखलन, बाढ़ फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

४. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-३ व ४ में संदर्भित शासनादेश दिनांक ३१ जूलाई, २००७ एवं शासनादेश दिनांक २२ सितम्बर, २०१० के साथ संलग्न भारत

सरकार की गोइड लाइन्स में निर्धारित एवं अह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमत्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या—4464 / 1-10-2008-14(45) / 2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए देवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु0 2000/- तक की धनराशि का वितरण विधरर चेक के माध्यम से तथा रु0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पर्याय चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में देवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निवहन नहीं किया जायगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कठिप्पि प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्ति किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्ताक्षर करकर अपने कर्तव्य की इतिश्वी कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदृपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फोड़ करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वासा आवंटित धनराशि में से यदि बचत समावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

१० व्यय की धनराशि का महालखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाय और प्रत्यक्ष माह में महालखाकर कार्यालय से ऑफिस समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

सलमनक—यथापरि।

भवदीय
१०/८८८५/२०१०
(कोको सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या—३८१९ १-१०-२०१०—१४(६३/२०१०), तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१—महालखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

२—सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।

३—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

४—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध व साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड करान सुनिश्चित करे।

५—वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।

६—कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।

७—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—५

८—समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभा—१०/राजस्व अनुभाग—६/११ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

९—निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।

१०—गार्ड फाइल।

आज्ञा सं।

अनन्द प्रकाश उपाध्याय
संयुक्त सचिव, राजस्व

शासनादेश संख्या- ३८१९ / १-१०-२०१०-१४(६३) / २०१०, दिनोंक २६ नवम्बर, २०१० का संलग्न
 (रु० लाख में)

क०सं०	जनपद	गृह आपदा	कृषि निवेश	आवंटित कुल धनराशि
1.	बहराइच	19.58	86.52	106.10
2.	कांशी राम नगर	00	163	163
3.	उन्नाव	236	00	236
4.	लखीमपुर खीरी	00	98	98
5.	हरदोई	544	1000	1544
6.	फरुखाबाद	00	858	858
7.	बिजनौर	100	622	722
8.	रामपुर	62	500	562
	कुल योग	961.58	3327.52	4289.10

(रूपये बयालिस करोड़ नवासी लाख दस हजार मात्र)

✓ १५.११.२०१०
 (क०क० सिंह)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त